न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 65/2005 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. मामचन्द पुत्र ठण्डीराम जाति जाट निवासी ग्राम जाटका मृतक
   1/1. फूलो देवी बेवा मामचन्द जाति जाट,
   1/2. भूपेन्द्र पुत्र स्व0 मामचन्द जाति जाट,
   1/3. अजय कुमार पुत्र स्व0 मामचन्द जाति जाट,
   1/4. रिसाल पुत्री स्व0 मामचन्द जाति जाट निवासी ग्राम जाटका तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0 ।
2. प्रकाश पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी जाटका तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर

.... वादी/अपीलांट

बनाम

1. अयूब खां,
2. कासमदीन,
3. समसुदीन,
4. फरमानअली,
5. इसराईल खां पुत्रान सले खां कौम मेव निवासी मांचा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0 ।

.... प्रति0/रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री रामसिंह यादव अभिभाषक अपीलांट ।
2. रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–30.06.2017

2. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस्तकरार हक व इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल ख0 नं0 977/0.38, 978/0.43 कुल किता 2 रकबा 3.04 बिस्वा वाके ग्राम मांचा का 1/2 भाग मृतक सले खां

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

पुत्र ईदू मेव साकिन मांचा की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी थी जो अपने जीवनकाल में काबिज थे एवं उनके नाम राजस्व रेकार्ड में अमल था । सले खां मृतक की माता रहमती थी जिसका पूर्व में ही देहान्त हो गया था और रहमती का एक मात्र वारिस उसका पुत्र मृतक सले खां ही था । मृतक सले खां ने अपनी उक्त आराजी को बाकब्जा बाजाप्ता प्रतिफल प्राप्त कर वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दि0 18.6.79 को वादीगण को विकय कर दी तथा तभी से वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । मृतक सले खां के वारिसान का अब इस आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है । वादीगण ने अपने बयनामा भी तत्कालीन पटवारी हल्का को वास्ते इन्द्राज करने राजस्व रेकार्ड में दिया था किन्तु सहवन से वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल नहीं किया व सले खां की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम अमल किया गया जो सरीहन खिलाफ कानून व मौका के कब्जा काश्त के विपरीत है । अतः वादीगण का वाद आराजी ख0 नं0 977/0.38, 978/0.43 के 1/2 भाग के खातेदार है व इसी प्रकार हाल जमाबन्दी में वादीगण के नाम अमल कराया जावें व प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें कि वे विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल ना करें न कब्जा करें ना काश्त कार्य में रूकावट करें तथा ना कहीं दीगर जगह मुन्तकिल करें । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर इकबाल जवाब दावा पेश कर वादीगण के वाद को अक्षरशः अक्षर स्वीकार किये जाने व वादीगण का वाद बिना खर्चा डिकी कर दिया जावें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है । विद्वान तहत न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर वादीगण का वाद दि0 6.9.2004 आंशिक स्वीकार कर दिया कर दिया जिस निर्णय व डिकी दि0 6.9.2004 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं आये । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य बखूबी साबित था कि तथाकथित विक्रयपत्र जो सले खां द्वारा वादीगण के हक में कराया गया है जो 1/2 भाग का है और 1/2 भाग का ही प्रतिफल लेकर बाकब्जा कराया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का यह आदेश की सले खा का 1/4 भाग था शेष उसकी माता मु0 रहमती के नाम है जबकि रहमती फौत हो चुकी है तथा उसका एक मात्र वारिस सले खां ही था । ऐसी स्थिति में रहमती का हिस्सा सले खां को प्राप्त हुआ व सले खां द्वारा 1/2 भाग का बेचान किया गया था । प्रतिवादी/रेस्पो0 जो कि मृतक सले खां के जायज वारिस पुत्रान है उन्होंने इकबाल वाद पेश किया तथा 1/2 भाग का ही बेचान होना व वादीगण को खातेदार होना स्वीकार किया था । मृतक रहमती के भी प्रतिवादीगण ही वारिसान है । ऐसी सूरत में वादीगण/अपीलांटान का वाद 1/2 भाग तक काबिल डिकी था ।

6. उन्होंने आगे कथन किया कि वादीगण तक वक्त खरीद से 1/2 भाग पर काबिज हैं तथा रहमती मृतका की एकमात्र वारिस सलेखां व उसके एकमात्र वारिसान प्रतिवादीगण/रेस्पो0 है जिन्हें वाद डिकी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं थी । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपीलांट के हितों पर कुठाराघात करने वाला है ।

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी

अतः तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में धारा 43 ट्रान्सफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट 1882, ए.आई. आर. 1962 पेज 847, 313, ए.आई.आर. 1965 पेज 504 व आर.आर.डी. 1991 पेज 540 प्रस्तुत की ।

7. हमने विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रजिस्टर्ड बयनामा दि0 18.6.79 का गहनता से अवलोकन किया गया जिसमें विवादित आराजी के दोनों खसरा नम्बरान में से 1/2 भाग का बेचान अपीलांट को किया जाना जाहिर होता है । विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विक्रयपत्र जो सले खां द्वारा वादीगण/अपीलांट के हक में कराया गया है जो 1/2 भाग का है और 1/2 भाग का ही प्रतिफल लेकर बाकब्जा कराया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का यह आदेश की सले खां का 1/4 भाग था शेष उसकी माता मु0 रहमती के नाम है जबकि रहमती फौत हो चुकी है तथा उसका एक मात्र वारिस सले खां ही था । ऐसी स्थिति में रहमती का हिस्सा सले खां को प्राप्त हुआ व सले खां द्वारा 1/2 भाग का बेचान किया गया था । प्रतिवादी/रेस्पो0 जो कि मृतक सले खां के जायज वारिस पुत्रान है उन्होंने इकबाल वाद पेश किया तथा 1/2 भाग का ही बेचान होना व वादीगण को खातेदार होना स्वीकार किया था । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत इकबाल जवाब दावे का भी अवलोकन किया गया जिसमें भी रेस्पो0 / प्रति0 ने उपस्थित होकर वाद को अक्षरशः अक्षर स्वीकार किया और वादीगण का वाद बिना खर्चा डिक्री कर दिया जावें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है किन्तु उक्त तथ्य जब विद्धान तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था तो अधीनस्थ न्यायालय को रजिस्टर्ड बयनामा व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबाल जवाब दावे के आधार पर वाद वादीगण विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का डिक्री करना चाहिए था । इसलिए तहत न्यायालय ने जो आंशिक डिक्री पारित की है उसमें हस्तक्षेप करना उचित समझते हैं और वादीगण/अपीलांटान को विवादित आराजी के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास के निर्णय व डिक्री दिनांक 6.9.2004 निरस्त की जाती है एवं वादीगण/अपीलांटान को विवादित आराजी हाल ख0 नं0 977/0.38, 978/0.43 कुल किता 2 रकबा 3.04 बिस्वा वाके ग्राम मांचा का 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो । खर्चा अपना-अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 30.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

डिगरी अपील
(ओ0 41, जा0 दीवानी)

बईजलास श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस. , भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर

उनवानी मुकदमा :

1. मामचन्द पुत्र ठण्डीराम जाति जाट निवासी ग्राम जाटका मृतक
   1/1. फूलो देवी बेवा मामचन्द जाति जाट,
   1/2. भूपेन्द्र पुत्र स्व0 मामचन्द जाति जाट,
   1/3. अजय कुमार पुत्र स्व0 मामचन्द जाति जाट,
   1/4. रिसाल पुत्री स्व0 मामचन्द जाति जाट निवासी ग्राम जाटका तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0 ।
2. प्रकाश पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी जाटका तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर ।

.... वादी/अपीलांट

बनाम

1. अयूब खां,
2. कासमदीन,
3. समसुदीन,
4. फरमानअली,
5. इसराईल खां पुत्रान सले खां कौम मेव निवासी मांचा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0 ।

.... प्रति0/रेस्पो

अपील सख्या : 65/2005 (223 आर.टी.एक्ट)

अपील विरूद्ध आज्ञा : उपखण्ड़ अधिकारी, किशनगढ़बास दिनांक : 06.09.2004

यह अपील दिनांक 30.06.2017 को रूबरू हमारे बहाजरी श्री रामसिंह यादव, अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये समाअंत के लिये पेश होकर हुकम हुआ है **कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास के निर्णय व डिक्री दिनांक 6.9.2004 निरस्त की जाती है एवं वादीगण/अपीलांटान को विवादित आराजी हाल ख0 नं0 977/0.38, 978/0.43 कुल किता 2 रकबा 3.04 बिस्वा वाके ग्राम मांचा का 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो । खर्चा अपना-अपना वहन करें ।**

बसब्त मेरे दरतखत व मुहर अदालत आज दिनांक 30.06.2017 को जारी की गई।

मुहर

हस्ताक्षर अधिकारी एवं मोहर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner